संख्या-1/2019/आडिट-2-1155/दस-2019-355(11)/2017

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी,
सहकारी समितियां एवं पंचायतें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 27 सितम्बर, 2019

विषय:- स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश एवं मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश द्वारा संपरीक्षित संस्थाओं पर बकाया संपरीक्षा शुल्क अपलेखन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-13/2018/आडिट-2-695/दस-2018-355(11)/2017 दिनांक 01.10.2018 द्वारा समस्त संस्थाओं/निकायों की सम्परीक्षा नि:शुल्क किये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे। उक्त के क्रम में यह पाया गया है कि स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 द्वारा की गयी सम्परीक्षाओं का दिनांक 31.07.2019 तक रू0 2,54,90,88,779/- एवं सहकारी समितियां एवं पंचायतें उ0प्र0 द्वारा की गयी सम्परीक्षाओं का दिनांक 31.08.2019 तक रू0 56,13,60,000/- सम्परीक्षा शुल्क अर्थात कुल रू0 3,11,04,48,779/- बकाया है। सम्यक् विचारोपरान्त सम्परीक्षा शुल्क के मद में उक्त बकाया धनराशि का अपलेखन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय
संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-1/2019/आडिट-2-1155(1)/दस-2019-355(11)/2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार (प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा) उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म/कृषि/नगर विकास/उच्च शिक्षा/पंचायती राज/सहकारिता/चिकित्सा शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/चीनी एवं गन्ना/आवास एवं शहरी नियोजन/ औद्योगिक विकास/समाज कल्याण/बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/ग्रामीण अभियंत्रण/ग्राम्य विकास/ ऊर्जा/अल्पसंख्यक कल्याण/दिव्यांग जन सशक्तिकरण/महिला एवं बाल विकास/अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ/कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान/वैकल्पिक ऊर्जा श्रोत/सैनिक पुनर्वास/विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी/वन/ संस्कृति/राष्ट्रीय एकीकरण/ भाषा/ चिकित्सा स्वास्थ एवं परिवार कल्याण/नियोजन/श्रम एवं सेवायोजन/ राजस्व/न्याय/पशुपालन/खाद्य एवं रसद/खेलकूद/धर्मार्थ कार्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. संबंधित समस्त संस्थायें/निकाय उत्तर प्रदेश।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
समीर
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in